

राजस्थान सरकार  
खान (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(1)खान/ग्रुप-1/2021 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक: 30 AUG 2022

आदेश

श्री जे.के. गुरुबक्षणी, अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर को अग्रिम आदेशों तक अपने पद के साथ अतिरिक्त, निदेशक, खान (मुख्यालय) निदेशालय, उदयपुर के रिक्त पद का भी अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है।

यह सक्षम रूप से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नीतू बारूपाल)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करायें।
7. निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
9. सम्बन्धित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर।
10. निजी पत्रावली।
11. रक्षित पत्रावली।

11  
(नीतू बारूपाल)  
शासन उप सचिव